



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-2964-औ०सं०/2024-27-एफ/80(वो०-01)

दिनांक : 2 अक्टूबर, 2024

शुद्धि-पत्र

उ०प्र० प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-2891-औ०सं०/2024-27-एफ/80(वो०-01) दिनांक 13.09.2024 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975" (यथासंशोधित) को संशोधित किया गया है जिसके प्रस्तर 1, 2 एवं 3 में त्रुटिवश वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 (ग्रेड पे-2600) अंकित हो गया है। निदेशक मण्डल के कार्यान्वयन अनुमोदन के प्रत्याशा में एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 (ग्रेड पे-2600) के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 (ग्रेड पे-2600) पढ़ा जाये।

आदेश सं०-2891-औ०सं०/2024-27-एफ/80(वो०-01) दिनांक 13.09.2024 के अन्य नियम एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

अध्यक्ष

सं०-2964-औ०सं०-17/2024 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/एस०एल०डी०सी०लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं कानपुर।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई०टी०, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पा० ट्रां० का० लि०/उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि० के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हार्डिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/(निधि प्रबन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
11. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पा० का० लि०।
13. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधि०, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ
16. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
17. कट फाइल।

(लोकेन्द्र सिंह)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी